समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक................/गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक ....

विषय : **दिनांक 31-03-2016 को कोषागार में विपत्र /चेक प्राप्त करने के संबंध में।**
प्रसंग : सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2526 (वि0), दिनांक-28-03-2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र, जो आपको सीधे सम्बोधित है तथा उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित है, के संदर्भ में कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिनांक 31-03-2016 को 05:00 बजे अपराह्न के बाद सरकारी संव्यवहार नहीं करता है एवं एजेंसी बैंकों द्वारा 05:00 बजे अप0 के बाद विपत्र स्वीकार नहीं किये जाते हैं तथा कोषागार में प्राप्त विपत्रों /चेकों को पारित करने में प्रक्रियागत समय लगता है। जबकि 31 मार्च को प्राप्त विपत्र का उसी दिन पारित एवं भुगतान आवश्यक है, फलस्वरूप यह आवश्यक है कि कोषागार से पारित विपत्र /चेक एडभाइस के साथ 05:00 बजे अप0 तक एजेंसी बैंक में भेज दिये जाए।

अतः निदेश दिया जाता है कि दिनांक 31-03-2016 को 03:00 बजे अप0 तक ही विपत्र स्वीकार किये जाए एवं 05:00 बजे अप0 तक सभी पारित विपत्र बैंक को निश्चित रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्रार्थमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 783................/गो0, मधेपुरा, दिनांक 29/3/16
प्रतिलिपि : सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा 29/3/16

E/2016/Letter -95-